कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
—:: इन्द्रावती भवन ::—
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / अ.सं. / मेकमी / न.क्रं.—03 / 2017—18 / 2314 नया रायपुर, दिनांक 8 / 06 / 2017

—:: सूचना ::—

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले एवं अभिभावक के वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक वाले अल्प संख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों से भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की वेबसाइट www.scholarships.gov.in में मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वर्ष 2017—18 हेतु **आनलाइन आवेदन** आमंत्रित किये जाते हैं। इसकी प्रकिया वेबसाईट के Home page पर FAQs में दिया गया है । छ0ग0 राज्य हेतु निम्नानुसार 310 का समुदायवार लक्ष्य एवं तिथि निम्नानुसार है:—

लक्ष्य :—

वर्गवार लक्ष्य						योग
मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	
127	124	22	20	17	0	310

Time Line :-

Sl. No.	Activities	Date	
		Fresh	Renewal
1	Submission of Online application for Fresh scholarship by student	1st June to 31st August 2017	
2	Submission of Online application for Renewal scholarship by student	1st June to 31st July 2017	

महत्वपूर्ण निर्देश —

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. विगत वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक (कक्षा 1लीं को छोड़कर) होना आवश्यक है ।
3. आवेदक का आधार नम्बर होना आवश्यक है। यदि आधार नंबर न हो तो उस स्थिति में निम्नानुसार दस्तावेज पहचान के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते है :—
    1. यदि विद्यार्थी आधार के लिए Enrolled है तो उसका आधार Enrolled I.D. स्लीप अथवा आधार Enrollment के लिए जो आवेदन किया है उसकी छायाप्रति।

2. फोटोयुक्त बैंक पास बुक अथवा राशन कार्ड अथवा पान कार्ड अथवा शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा ड्रायविंग लायसेंस अथवा अन्य दस्तावेज जो राज्य शासन द्वारा जारी किया गया है।

4. अभिभावक की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. आवेदक का स्वयं का बैक खाता (एकाउंट) नम्बर होना आवश्यक है एवं पासबुक फोटो सहित संलग्न होना चाहिए।

विशेष :-

आवेदक, आनलाईन आवेदन करने के पूर्व भारत सरकार के वेबसाईट "www.scholarships.gov.in" के Home page पर FAQs में आवेदन करने हेतु दिये गये निर्देशों को आवश्यक रूप से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन पश्चात् ही आवेदन भरे।

/6/27

(जी.आर.चुरेन्द्र)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर